न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 1/144/2018
तारीख दायरा : 10.05.2018

उनवान

1.मूल चन्द ब्राहमण पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।
(मृतक) जरिय वारिसान
1/1 शान्ति देवी बेवा मूल चन्द निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी (अलवर)
1/2 मुन्ना लाल पुत्र स्व0 श्री मूल चन्द शर्मा निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी (अलवर)
1/3 मुकश कुमार पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी (अलवर)
1/4 श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व0 श्री मूल चन्द शर्मा पत्नी रामप्रसाद शर्मा हाल निवासी बिलेटा तहसील रैणी (अलवर)
1/5 उर्मिला देवी पुत्री स्व0 मूल चन्द पत्नी रामकृपाल शर्मा निवासी बीलेटा तहसील रैणी (अलवर)
1/6 चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री मूल चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी (अलवर)
1/7 सुशीला देवी पुत्री स्व0 मूल चन्द शर्मा जाति ब्राहमण पत्नी रामोतार शर्मा निवासी ग्राम माचाडी तहसील रैणी (अलवर)
1/8 कलावती पुत्री स्व0 मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
1/9 कमलेश पुत्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण पत्नी नरेश निवासी ग्राम खुडयाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2 वसन्ती लाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।
3 किशोरीलाल दत्तक पुत्र बदरी प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर
(मृतक) जरिये वारिसान
3/1 मनोहर लाल पुत्र स्व0 किशोरी लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. भम्बू पुत्र मुतवन्ना गंगाबक्श जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।

.....प्रतिवादी

(दावा इस्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आरटीएक्ट)

उपस्थित श्री भूपेन्द्र शर्मा
श्री दीपक कुमार जैमन

न्यायालय द्वारा :–

दिनांक: 01.07.2022

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक सम्वत 2020 से पूर्व 187 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वो बाद बन्दोबस्त सम्वत 2020 में 174 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत 2046 ला0 65 में कायम हुए। खसरा नम्बर 238 रकबा 0.43 है0, 239 रकबा 0.09 है0, 240 रकबा 0.20 है0, 241/0.41 है0 वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर है। उपरोक्त आराजीयात पैरा नं0 1 अर्जी दावा के पूर्व सम्वत 2020 में खातेदार काश्तकार

वादीगण नं0 01 लगायत 3, 1/3 भाग वो बदरी 1/3 भाग तथा प्रतिवादी भम्बू 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। बदरी ने अपने जीवनकाल में ही वादी नं0 3 किशोरी लाल को गोद ले लिया और बाद में बदरी वो पत्नी का स्वर्गवास हो गया और चूंकि बदरी के कोई लडका नही था इस कारण किशोरी लाल जो कि बदरी के गोद गया, वह बदरी के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसकी चल वो अचल सम्पति पर काबिज हो गया। इसप्रकार किशोरी लाल बदरी मृतक के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा 1/3 भाग के वादीगण नं0 1, 2 तथा 1/3 भाग के प्रतिवादी भम्बू खातेदार काश्तकार है और मौके पर मुताबिक हिस्सा अपने अपने हिस्से की काश्तकार का फायदा उठा रहे है। प्रतिवादी ने कभी भी विवादित आराजी पैरा नं0 1 अर्जी दावा के 1/2 भाग को काश्त नही किया और ना ही कभी काबिज रहा और ना ही आज काबिज है मगर प्रतिवादी जो कि बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है ने बराये चालाकी कर्मचारियान रेवन्यू से साजबाज होकर सम्वत 2020 के बाद अपने नाम विवादित आराजी के 1/2 भाग का गलत वो मौके के खिलाफ इन्द्राज करा लिया जैसा कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2037 लगायत 46 से जाहिर होता है और यही इन्द्राज संवत 2046 लगायत 65 के बन्दोबस्त के कर्मचारियान द्वारा दुरस्ती का अधिकार नही होने के कारण कर दिया और इस प्रकार यह इन्द्राज बाद बन्दोबस्त सम्वत 2020 वो हाल बन्दोबस्त सम्वत 2046 ला0 65 गलत वो खिलाफ कानून तथा मौका है और बमुकाबिले वादीगण काबिल दुरस्ती है तथा वादी नं0 1 व 2 1/3 भाग तथा वादी नं0 3 का 1/3 भाग वो प्रतिवादी 1/3 भाग के खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। सम्वत 2020 के बन्दोबस्त के बाद वा हाल बन्दोबस्त सम्वत 2020 की मिसल हकीयत वो जमाबन्दी में प्रतिवादी का 1/2 भाग का इन्द्राज विवादित आराजीयात पैरा नं0 1 के कायम रहने से वादीगण के हकूक जायल होते है और अधिकारी पर विपरित असर पडता है इसी कारण वादी नं0 1 व 2 का 1/3 भाग वादी नं0 2 का 1/3 भाग वो प्रतिवादी का 1/3 भाग का सही इन्द्राज कर मौजूदा इन्द्राज दुरस्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः बमुकाबिले वादीगण वो बेअसर करार दिया जाकर वादी नं0 1 व 2 का 1/3 भाग, वादी नं0 3 का 1/3 भाग वो प्रतिवादी भम्बू का 1/3 भाग का इन्द्राज दुरस्त करने का निवेदन किया है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि बदरी, जगन्नाथ वो गंगाबक्श तीनों सगे भाई थे जो एक बाप की औलाद थे। जब बदरी लावल्द फोत हो गया तो बदरी का हिस्सा जगन्नाथ वो गंगाबक्श के वारिसान को आधा–आधा मिलेगा। इस प्रकार से बदरी का 1/3 हिस्सा आधा वादीगण वो आधा प्रतिवादी को मिलेगा। बदरी लावल्द वसीयत फोत हुआ है बदरी ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को कभी गोद नही लिया, न गोद नसीनी की, न अपनी औरत से स्वीकृति लेकर कभी किसी प्रकार की कोई गोद की रस्म जाति बिरादरी वो रिश्तेदारों वो ग्राम पंचायत जाति पंचायत वो जाति के पंचों के समक्ष की गई है, न उम्र अवस्था लेन देन सम्पत्ति आदि किसी भी बात का जिक्र नही किया गया। वादी केवल गोद की बात कहकर आया है। गोद का समय, दिनांक, साल, सम्वत, ऋतु आदि किसी भी प्रकार का कोई विवरण पेश नही करते है केवल स्वपना के आधार पर अपने आपको गोद का बताकर आया है जो एक झूठी वो मनगढन्त कहानी प्रतिवादी हिस्से की आराजी को हडपने के लिए बनाई गई है जो कतई स्वीकार नही है। वादी पहले गोद का डिक्लेरेशन दीवानी अदालत से लेता और जब गोद का दीवानी अदालत से डिक्लेरेशन प्राप्त कर लेता तब दावा दायर कर सकता था। दावा हाजा में मूल विवाद गोद का है तथा अन्य अनुतोष सब सिक्विन्ट अनुतोष है इस प्रकार से इस वाद की सुनवाई का मुकदमा अदालत दीवानी में पेश होना चाहिऐं था न कि अदालत माल में। इस वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है।

उपरोक्त प्रकरण में दावा, जवाबदावा एवं राजस्व अभिलेख के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादीगण के तर्को का प्रतिरोध करते हुए दावा वादीगण दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवचेन निम्नप्रकार है –

तनकी नं. 1 – आया वादी नं0 1व 2 एवं 3 विवादित आराजी खसरा नम्बर व हाल 238, 239, 240, 241 वाके ग्राम डेरा के 1/3, 1/3 भाग के कब्जेकाश्त खातेदार है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2011, 2015, 2019, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 व 2046, नकल जमाबन्दी सम्वत 2046, रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.01.1971 पेश किये है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 27.09.2012 की प्रति पेश की है।

उपरोक्त राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2015 के खाता नम्बर 19 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार बद्री 1/3, मूल चन्द, किशोरी लाल, बसन्ती लाल बैहिस्सा बराबर 1/3, भम्बू हि0 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2019 के खाता नम्बर 49 के अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र भूरजी, मूल चन्द, बसन्ती लाल, किशोरी लाल पि0 जगन्नाथ 1/2 हिस्सा जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2020 के खाता नम्बर 21 में खसरा नं0 174 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में किशोरीलाल पि0 मु0 बद्रीप्रसाद 1/4 हिस्सा, मूलचन्द, बसन्तीलाल पि0 जगन्नाथ 1/4 हि0 समान भाग, भम्बू पुत्र गंगाबक्श 1/2 हिस्सा सा0 देह खातेदारान दर्ज रिकॉर्ड है। भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 238 रकबा 0.43 है0, 239 रकबा 0.09 है0, 240 रकबा 0.20 है0, 241 रकबा 0.41 है0 बनाये गये है। वर्तमान जमाबन्दी में सम्वत 2020 के अनुसार मूलचन्द, बसन्तीलाल पि0 जगन्नाथ व भम्बू पुत्र गंगाबक्श के हिस्से अनुसार विरासत दर्ज हो चुकी है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार उक्त खसरे मनोहरलाल पुत्र किशोरीलाल 1/4, मुन्नालाल, मुकेंश कुमार पि0 मूलचन्द 1/4 हिस्सा, महेन्द्रकुमार, राजेन्द्रकुमार पि0 कंचनलाल 1/4 हिस्सा, जितेन्द्रकुमार, धर्मेन्द्रकुमार पि0 नब्बूराम 1/4 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार रैणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 से भी होती है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया हुआ है कि उक्त विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2015 के खाता संख्या 19 के अनुसार मौके पर हिस्सा मुताबिक बँटी हुई है। अतः उपरोक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। इसप्रकार तनकी नं0 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 2 – आया बन्दोबस्त सम्वत 2020 व 2046 में जो प्रतिवादी का 1/2 भाग का इन्द्राज किया हुआ है वो मुकाबले वादीगण बातिल व बेअसर है और राजस्व रिकॉर्ड में वादी नं0 1 व 2 का 1/3 भाग, वादी नं0 3 का 1/3 भाग व प्रतिवादी भम्बू का 1/3 भाग का इन्द्राज दुरस्त कराने के अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1/144/2018
तारीख दायरा : 10.05.2018

उनवान

1.मूल चन्द ब्राहमण पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।
(मृतक) जरिये वारिसान
1/1 शान्ति देवी बेवा मूल चन्द निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी (अलवर)
1/2 मुन्ना लाल पुत्र स्व0 श्री मूल चन्द शर्मा निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी (अलवर)
1/3 मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी (अलवर)
1/4 श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व0 श्री मूल चन्द शर्मा पत्नी रामप्रसाद शर्मा हाल निवासी बिलेटा तहसील रैणी (अलवर)
1/5 उर्मिला देवी पुत्री स्व0 मूल चन्द पत्नी रामकृपाल शर्मा निवासी बीलेटा तहसील रैणी (अलवर)
1/6 चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री मूल चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी (अलवर)
1/7 सुशीला देवी पुत्री स्व0 मूल चन्द शर्मा जाति ब्राहमण पत्नी रामोतार शर्मा निवासी ग्राम माचाडी तहसील रैणी (अलवर)
1/8 कलावती पुत्री स्व0 मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
1/9 कमलेश पुत्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण पत्नी नरेश निवासी ग्राम खुडयाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2 बसन्ती लाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।
3 किशोरी लाल दत्तक पुत्र बदरी प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर
(मृतक) जरिये वारिसान
3/1 मनोहर लाल पुत्र स्व0 किशोरी लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।
.....वादीगण

बनाम

1. भम्बू पुत्र मुतबन्ना गंगाबक्श जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।
.....प्रतिवादी

(दावा इस्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आरटीएक्ट)

उपस्थित श्री भूपेन्द्र शर्मा
श्री दीपक कुमार जैमन

न्यायालय द्वारा :-

पर्चा डिक्री दिनांक: 01.07.2022

दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 0.43 है0, 239 रकबा 0.09 है0, 240 रकबा 0.20 है0, 241 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम डेरा के वर्तमान इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा वादी संख्या 1 व 2 को 1/3 भाग का एवं वादी संख्या 3 को 1/3 भाग का एवं प्रतिवादी भम्बू को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रैणी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)
1.7.22

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का वादपत्र में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि सम्वत 2020 में खातेदार काश्तकार वादीगण 1 लगायत 3 1/3 भाग व बद्री 1/3 भाग तथा प्रतिवादी भम्बू 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। बद्री ने अपने जीवनकाल में ही वादी नं0 3 किशोरी लाल को गोद ले लिया था। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि किशोरी लाल, बद्रीप्रसाद का दत्तक पुत्र है के संबंध में एक तनकी कायम की गई जिसे सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजगढ को तय करने हेतु पत्रावली भिजवाई गई। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.09.2012 के द्वारा यह निर्णित किया गया है कि किशोरी लाल बद्री प्रसाद का दत्तक पुत्र है। अतः इस बिन्दु के संबंध में अब अन्य किसी प्रकार के विवेचन की आवश्यकता नही रह जाती है। इसप्रकार किशोरी लाल, ब्रदी प्रसाद का दत्तक पुत्र होने के नाते उपरोक्त आराजी में 1/3 भाग के अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राज हो रहा है वह बंदोबस्त से पूर्व के अंकन से भिन्न है इसलिए उसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 3 – आया वाद न्यायालय के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में नही है।

वादीगण द्वारा यह वाद अपने खातेदारी अधिकार तय करवाने हेतु प्रस्तुत किया है और खातेदारी अधिकारों का निर्धारण राजस्व न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है जहॉ तक क्षेत्राधिकार का संबंध है इस प्रकरण में दत्तक पुत्र के क्रम में निर्धारित तनकी को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है इसलिए कानूनी बिन्दू के सक्षम न्यायालय द्वारा तय किये जाने के उपरान्त इस तनकी का कोई विशेष महत्व नही रह जाता है। इसप्रकार वादीगण का दावा क्षेत्राधिकार में माने जाने योग्य है।

उपरोक्त तनकीयात के समक्ष विवेचन के उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 0.43 है0, 239 रकबा 0.09 है0, 240 रकबा 0.20 है0, 241 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम डेरा के वर्तमान इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा वादी संख्या 1 व 2 को 1/3 भाग का एवं वादी संख्या 3 को 1/3 भाग का एवं प्रतिवादी भम्बू को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रैणी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

1.7.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

1.7.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)